B.A. PART-I (Ist Paper)

अधिकार ~~(Right)~~

अधिकार की परिभाषा दीजिए और इस कथन की व्याख्या कीजिए कि प्रत्येक राज्य की पहचान उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से होती है!

अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है इस कारण वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य के द्वारा अधिकाधिक अधिकार प्रदान किये जाते हैं और लास्की के शब्दों में कहा जा सकता है।

1. अधिकार अर्थ और परिभाषा :-

प्रकृति के द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं लेकिन इन शक्तियों का स्वयं अपने और समाज के हित में उचित रूप से प्रयोग करने के लिए कुछ बाहरी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य व्यक्ति का पूर्ण विकास है, इस प्रकार राज्य के द्वारा व्यक्ति को ये सुविधा प्रदान की जाती है और राज्य व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली इन बाहरी सुविधाओं का नाम ही अधिकार है।

अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गयी कुछ कार्य करने की स्वतन्त्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक

शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। प्रमुख विद्वानों द्वारा अधिकार की निम्नलिखित शब्दों में परिभाषाएं की गयी है।

2. अधिकार के आवश्यक लक्षण :—

अधिकार की जो परिभाषा दी है उन परिभाषा और अधिकार की सामान्य धारणा के आधार पर अधिकार के निम्नलिखित आवश्यक लक्षण कहे जा सकते है:

(i) सामाजिक स्वीकृति :— अधिकार का सर्वप्रथम लक्षण यह है कि अधिकार का अस्तित्व समाज में ही सम्भव है। अधिकार के लिए सामाजिक स्वीकृति आवश्यक है, सामाजिक स्वीकृति के अभाव में व्यक्ति जिन शक्तियों का उपभोग करता है वे उसके अधिकार न होकर प्राकृतिक शक्तियाँ है। अधिकार तो राज्य द्वारा नागरिक को प्रदान की गयी स्वतन्त्रता और सुविधा का नाम है और इस स्वतन्त्रता एवं सुविधा की आवश्यकता तथा उपभोग समाज में ही सम्भव है। शून्य में व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं हो सकते रॉबिन्सन क्रूसो जैसे व्यक्ति को निर्जन द्वीप में कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसके अतिरिक्त राज्य के द्वारा व्यक्ति को जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिकार प्रदान किये जाते है उसकी सिद्धि समाज में ही सम्भव है। इस दृष्टि से भी अधिकार समाजगत ही होते है।

Scanned with CamScanner

(ii) कल्याणकारी स्वरूप :- अधिकारों का सम्बन्ध आवश्यक रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से होता है। इस कारण अधिकार के रूप में केवल वे ही स्वतन्त्रता और सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं जो व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक या सहायक हों। व्यक्तित्व को कभी भी वे अधिकार नहीं दिये जा सकते जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक हों। इसी कारण मद्यपान, जुआ खेलना या आत्महत्या अधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है।

(iii) लोकहित में प्रयोग :- व्यक्ति को अधिकार उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास और सम्पूर्ण समाज के सामूहिक हित के लिए प्रदान किये जाते हैं। अतः यह आवश्यक होता है कि अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार किया जाय कि व्यक्ति की स्वयं की उन्नति के साथ-साथ सम्पूर्ण समाज की भी उन्नति हो। यदि कोई व्यक्ति अधिकार का इस प्रकार से उपयोग करता है कि अन्य व्यक्तियों या सम्पूर्ण समाज के हित साधन में बाधा पहुँचती है तो व्यक्ति के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है।

(iv) राज्य का संरक्षण :- अधिकार का एक आवश्यक लक्षण

Scanned with CamScanner

यह भी है कि उसकी रक्षा का दायित्व राज्य के ऊपर होता है और इस सम्बन्ध में राज्य आवश्यक व्यवस्था भी करता है, उदाहरणार्थ नागरिक को रोजगार प्राप्त होना चाहिए, यह बात व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और समाज भी इसे स्वीकार करता है, लेकिन राज्य जब तक आवश्यक संरक्षण की व्यवस्था न करे उस समय तक पारिभाषिक अर्थ में उसे अधिकार नहीं कहा जा सकता है

(v) सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता :— अधिकार का एक अन्य लक्षण यह भी है कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किये जाते है और इस सम्बन्ध में जाति, धर्म, लिंग और वर्ण के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता है।

3. अधिकारों का वर्गीकरण :—

साधारणतया अधिकार दो प्रकार के होते है, (i) नैतिक अधिकार और (ii) कानूनी अधिकार :

(i) नैतिक अधिकार Moral Rights :- नैतिक अधिकार वे अधिकार होते है जिनका सम्बन्ध मानव के नैतिक आचरण से होता है।

Scanned with CamScanner

अनेक विचारकों के द्वारा इन्हें अधिकार के रूप में ही स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि ये अधिकार राज्य द्वारा रक्षित नहीं होते हैं। इन्हें दार्शनिकों सम्मत या आत्मिक चेतना द्वारा स्वीकृत किया जाता है और राज्य के कानून से इनका कोई सम्बन्ध नहीं होता।

(ii) कानूनी अधिकार :- Legal Rights :- ये वे अधिकार हैं जिनकी व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है और जिनकी उल्लंघन कानून से दण्डनीय होता है, कानून का संरक्षक प्राप्त होने के कारण इन अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है। विद्वानों ने इन अधिकारों की परिभाषा करते हुए कहा है कि कानूनी अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो एक नागरिक को अन्य नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं तथा जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रदान किये जाते हैं और रक्षित होते हैं।

(i) सामाजिक या नागरिक अधिकार :- Social or civil Rights.

प्रमुख सामाजिक या नागरिक अधिकार निम्नलिखित हैं:

(क) जीवन का अधिकार :- मानव के सभी अधिकारों में जीवन का अधिकार सबसे अधिक मौलिक व आरम्भ अधिकार है।

Scanned with CamScanner

क्योंकि इस अधिकार के बिना अन्य किसी भी अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती है। जीवन के अधिकार का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है और राज्य इस बात की व्यवस्था करेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति या राज्य व्यक्ति के जीवन का अन्त न कर दे।

जीवन के अधिकार के अन्तर्गत ही आत्मरक्षा का अधिकार भी निहित है इसका तात्पर्य यह है यदि किसी व्यक्ति के जीवन पर आघात किया जाता है तो सम्बन्धित व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकता है और आत्मरक्षा के निमित्त की गयी यह कार्यवाही अपराध की श्रेणी में नहीं आती है।

प्रत्येक समाज का एक आवश्यक अंग होता है और व्यक्ति का जीवन स्वयं अपने साथ-साथ सम्पूर्ण समाज की सम्पत्ति होती है, इसलिए जीवन के अधिकार में यह बात भी सम्मिलित है कि कोई व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का भी अन्त नहीं करता है।

(iii) समानता का अधिकार :—

समानता का अधिकार एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकार है और इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को

व्यक्ति होने के नाते सम्मान और महत्व प्राप्त होना चाहिए और जाति धर्म व आर्थिक स्थिति के भेद के बिना सभी व्यक्तियों को अपने जीवन का विकास करने के लिए समान सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। समानता का अधिकार प्रजातंत्र की आत्मा है और इसके निम्न भेद हैं

(क) राजनीतिक समानता का अधिकार :-

इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यतानुसार बिना किसी पक्षपात के देश के शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। इस राजनीतिक समानता की प्राप्ति प्रजातंत्र शासन की स्थापना और वयस्क मताधिकार की व्यवस्था द्वारा ही सम्भव है। इसी में यह बात भी शामिल है कि न्याय और कानून की दृष्टि से भी सभी व्यक्ति समान समझे जाने चाहिए।

(ख) सामाजिक समानता का अधिकार :-

इसका तात्पर्य यह है कि समाज में धर्म, जाति, भाषा, सम्पत्ति या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और व्यक्ति होने के नाते ही समाज में सम्मान प्राप्त होना चाहिए। सामाजिक समानता की स्थापना हेतु भारतीय संविधान के 17 वें अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।

Scanned with CamScanner

(ग) आर्थिक समानता का अधिकार :— वर्तमान समय मे आर्थिक समानता का तात्पर्य यह लिया जाता है कि मानव के आर्थिक स्तर मे गम्भीर विषमताएँ नही होनी चाहिए और सम्पत्ति एवं उत्पादन के साधनों का न्यायसंगत वितरण किया जाना चाहिए।

(iii) स्वतन्त्रता का अधिकार :—

स्वतन्त्रता का अधिकार जीवन के लिए परम आवश्यक है क्योंकि इस अधिकार के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा समाज का विकास सम्भव नही है। स्वतन्त्रता का तात्पर्य उच्छृंखलता या नियन्त्रणहीनता न होकर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पूर्ण अवसरों की प्राप्ति है। लास्की के शब्दो मे इसका तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपने तरीके से बिना किसी बाहरी बन्धन के अपने जीवन का विकास कर सके।

(क) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार :—

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपना सामान्य जीवन विवेक के अनुसार व्यतीत कर सके। मिल व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को बहुत अधिक महत्व देते है और इसे सर्वोत्तम सद्गुण मानते है। स्वतन्त्रता के इस रूप का प्रतिपादन करते हुए मिल कहते है कि स्वयं अपने ऊपर अपने शरीर, मस्तिष्क और

आत्मा पर व्यक्तित्व सम्पन्न होता है।

(ख) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार :-

विचार स्वतंत्रता मानसिक और नैतिकता उन्नति की सर्वोच्च शर्त है मानव एक विवेकशील प्राणी है और व्यक्ति का आत्मविश्वास एवं सामाजिक की सम्पूर्ण उन्नति विचारों के आदान प्रदान पर भी निर्भर करती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार विचार रखने और भाषण, लेख आदि के माध्यम से इन विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

The End.

Scanned with CamScanner